रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240199
CG-DL-E-11112022-240199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5018] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2022/कार्तिक 19, 1944
No. 5018] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022/KARTIKA 19, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

का.आ. 5237(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv), उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 2364 (अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, —

(I) पैरा 2 के, —

(क) उप-पैरा (i) में, "पर्यावरण और वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर, "इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-पैरा (viii) में, "पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इसका अनुमोदन" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका अनुमोदन" शब्द रखे जाएंगे;

(II) पैरा 3 के, उप-पैरा (5) में, "और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित" शब्द हटा दिए जाएंगे;

(III) पैरा 4 के, —

(क) उप-पैरा (2) में,

(i) मद (iv) में, "जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए", शब्दों को हटाया जाएगा;

(ii) मद (vi) में, "जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए", शब्दों को हटाया जाएगा;

(ख) उप-पैरा (4) में, "ऐसे सभी मामलों को, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व अनापत्तियों के लिए निर्देशित करेगी" शब्दों के स्थान पर "ऐसे सभी मामलों को, केंद्रीय सरकार के यथास्थिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात मूल्यांकन प्राधिकरण, कर्नाटक को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व अनापत्तियों के लिए निर्देशित करेगी" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. कर्नाटक/1/2011-ईएसजेड-आरई]

तन्मय कुमार, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (ii), में अधिसूचना संख्याक का.आ. 2364(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2022

S.O. 5237(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published, *vide* notification number S.O. 2364 (E), dated the 4th October, 2012, namely:—

In the said notification, —

(I) in paragraph 2, –

(a) in sub-paragraph (i), for the words, "Central Government in the Ministry of Environment and Forests", the words "State Government for its effective implementation" shall be substituted;

(b) in sub-paragraph (viii), for the words, "approval thereof by the Ministry of Environment and Forests", the words "approval thereof by the Competent Authority of the State Government" shall be substituted;

(II) in paragraph 3, in sub-paragraph (5), the words "and approved by the Ministry of Environment and Forests" shall be deleted;

(III) in paragraph 4, –

(a) in sub-paragraph (2),-

(i) in item (iv), the words "to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India" shall be deleted;

(ii) in item (vi), the words " to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India" shall be deleted;

(b) in sub-paragraph (4), for the words, "Ministry of Environment and Forests for prior clearances", the words "Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, Karnataka, as the case may be, for prior clearances under the provisions of the said notification." shall be substituted.

[F. No. Karnataka/1/2011-ESZ-RE]

TANMAY KUMAR, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 2364(E), dated the 4th October, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.11.11 15:32:11 +05'30'